दुरभाष सं. 0141–2742548

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2020–21/19401 दिनांकः 01.10.2020

<u>जलाशयों को लीज पर देने बाबत ई – नीलामी बोली सूचना 08</u>

राज्य में स्थित ''क'' श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन जलाशयों (आरक्षित राशि रू. 1697.00 लाख) में वर्ष 2020–21 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आंवटन हेतु ई नीलामी बोली द्वारा बोलीयां दिनांक 26.10.2020 को सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। नीलामी बोली संबंधित विस्तृत सूचना एवं शर्तें www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं www.dipronline.org व www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 12.10.2020 से अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड कर सकते हैं तथा आनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 26.10.20220 को सांय 6.00 बजे तक अपलोड करवा सकते हैं।

नीलामी बोली से सम्बन्धित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेगें।

निदेशक

दुरभाष सं. 0141–2742548

राजस्थान सरकार

निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांकः एफ.2(4)निम / लेखा / ठेका / 2020–21 / 19401 दिनांकः 01.10.2020

मत्स्याखेट हेतु जलाशयों को लीज पर देने बाबत ई – नीलामी बोली सूचना 08

राज्य में स्थित ''क'' श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन निम्न जलाशयों में वर्ष 2020–21 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आवंटन हेतु ई–नीलामी बोली द्वारा बोलीयां दिनांक 26.10.2020 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	नाम जलाशय	जिला	आरक्षित राशि (रू. लाखों में)
1	बंध बुचारा	जयपुर	5.50
2	बंध चंदलाई (रामसागर)	जयपुर	46.00
3	बंध कानोता	जयपुर	120.00
4	बंध रायपुर पाटन	सीकर	7.50
5	बंध दीपावास	सीकर	5.50
6	बंध बीसलपुर मय नदी डाई खारी जिला अजमेर – भीलवाडा मय बंध भटेडा, टोंक	टोंक	650.00
7	बंध पचानपुरा	भीलवाडा	20.00
8	बंध मण्डोल	भीलवाडा	12.00
9	बंध फतेहसागर	उदयपुर	40.00
10	नदी भेडच (उदयपुर–चितौडगढ– भीलवाडा)	उदयपुर	22.00
11	बंध बडी (बडगाव)	उदयपुर	12.00
12	बंध साबरमती तहसील कोटडा	उदयपुर	25.00
13	बंध लोडेश्वर	डूंगरपुर	17.00
14	बंध बाबा की बार	डूंगरपुर	5.00
15	बंध पूजंपुर	डूंगरपुर	12.00
16	बंध जाखम मय नदी (सेन्चूरी एरिया छोडकर)	प्रतापगढ़	25.00
17	बंध गम्भीरी मय नदी	चित्तौड़गढ़	175.00
18	बंध मोडिया महादेव	चित्तौड़गढ़	13.00
19	बंध दहीखेडा	चित्तौड़गढ़	5.00
20	बंध घोसुण्डा डेम	चित्तौड़गढ़	45.00
21	बंध जगर	करौली	50.00
22	बंध अलनिया	कोटा	46.00
23	बंध अभयपुरा	बूंदी	15.00
24	बंध भीमलत	बूंदी	11.00
25	बंध पाईबालापुरा	बूंदी	15.00
26	बंध हिण्डौली	बूंदी	33.00
27	बंध चन्द्रसरोवर (गावडी)	झालावाड़	5.50

28	बंध भीम सागर	झालावाड़	25.00
29	बंध सूर्यसागर (खण्डिया)	झालावाड़	11.00
30	बंध कालीसंध मय अपर स्ट्रीम नदी कालीसिंध	झालावाड़	32.00
31	बंध छोडा	पाली	6.00
32	बंध सूकली सेलवाडा मय नदी सिरोही	सिरोही	45.00
33	बंध पश्चिमी बनास मय नदी	सिरोही	35.00
34	बंध धान्ता	सिरोही	5.00
35	बंध सहरोल तलहटी	बारां	5.00
36	बंध उतावली	बारां	10.00
37	नदी परवन (कोटा–बारां–झालावाड़) पर सरंक्षित सोरसन गोडावन क्षेत्र ग्राम मउ इब्राहिमपुर (अन्ता सोरसन सांगोद मार्ग पर सांगोद पुलिया) से राजगढ़ एक्वाडक्ट से आगे काली सिन्ध नदी में संगम तक के क्षेत्र को छोड़कर व शेरगढ़ अभ्यारण्य (अजनावरी नाले से अकावद डेम की डाउन स्ट्रीम तक का क्षेत्र छोड़कर)	बारां	13.00
38	बंध गूदोलाव	अजमेर	15.00
39	बंध बालसमन्द	जोधपुर	7.00
40	बंध बांडी सिणधरा	जालौर	25.00
41	बंध बीठन	जालौर	5.00
42	बंध नंदसमंद (नमाना)	राजसमंद	20.00

नीलामी बोली शर्ते एवं संबंधित सूचना www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं www.dipronline.org व www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 12.10.2020 से अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड कर सकते हैं। आनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 12.10.2020 से डाउनलोड कर 26.10.2020 को सांय 6.00 बजे तक अपलोड करवा सकते हैं। आनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र के साथ अपलोड कराते समय निम्न डी0डी0 के स्केन की प्रतियां भी अपलोड करवानी होगी। डी0डी0 भौतिक रूप से दिनांक 27.10.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र. सं.	डी0डी0 की राशि (रूपये में)	विवरण जिनके नाम डी0डी0 बनवाया जाना हैं।
1.	500/– (नीलामी बोली प्रपत्र शुल्क प्रत्येक जलाशय के अलग–अलग)	निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2.	आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत (प्रत्येक जलाशय के लिये अलग–अलग)	निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3.	1000/– (ई–नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क)	एम. डी. आर. आई. एस. एल., जयपुर। **(M.D.R.I.S.L., JAIPUR)**

आनलाईन तकनीकी नीलामी बोली दिनांक 27.10.2020 को अपरान्ह 2.30 बजे खोली जावेगी एवं तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की आनलाईन वित्तीय नीलामी बोली खोले जाने की दिनांक की सूचना आनलाईन अपलोड कर दी जावेगी।

नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेगें।

निदेशक

क्रमांक एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2020—21/19402—551 दिनांकः 01.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः—

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, पशुपालन, एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि इस नीलामी बोली विज्ञप्ति का प्रकाशन विस्तृत प्रचार हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में तथा एक किसी ट्रेड जनरल में जो नीलामी बोलीयां आमन्त्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो, में नीलामी बोली विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का श्रम कराएं एवं विभागीय वेबसाईट पर आपलोड़ भी करवाने का श्रम करे।
6. मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध हे कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,——————————को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी बोली विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।
9. संयुक्त निदेशक मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक निदेशक मत्स्य योजना/मुख्यालय/सांख्यिकी राजस्थान जयपुर।
11. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,——————————
12. समस्त मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी————————————
13. कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय मत्स्य राजस्थान जयपुर।
14. रोकड शाखा/भण्डार शाखा/विकास शाखा/संस्थापन शाखा निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
15. नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

ई – नीलामी बोली प्रपत्र

नीलामी बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक – 26.10.2020

विषयः– 'क' श्रेणी के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2020–21 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार निविदा प्रपत्र।

1– बोलीदाता का नाम :– ––
––

2– पिताजी का नाम :– ––

3– पेन कार्ड नम्बर :– ––
(पेन कार्ड की प्रति स्केन कर अपलोड करें)

4– (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड़:– –––––––––––––––––––––––––
––
––
दूरभाष नम्बर – ––
मोबाइल नम्बर– ––
ई मेल आई डी :–
(2) स्थाई पता मय पिन कोड़ :– ––––––––––––––––––––––––––––––––––
––

5– जलाशयों के नाम जिनके लिये लिये नीलामी बोली दी जा रही हैं:–

1.	2.	3.
4.	5.	6.

6– संदर्भ :– नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांकः– एफ.2 (4) निम /लेखा /ठेका /2020–21/19401 दिनांक 01.10.2020

7– (I)नीलामी बोली शुल्क रूपये 500/– डी0डी0 संख्या––––––––––दिनांक ––––––––––

(II) ई नीलामी बोली प्रकिया शुल्क रू. 1000/– डी0डी0 संख्या––––––––––

दिनांक ––––––––––

निविदादाता के हस्ताक्षर

8— नीलामी बोली विज्ञप्ति की शर्तोनुसार जलाशयवार जमा कराये गये/जाने वाली अमानता राशि का विवरण:—

क्र.सं.	**जलाशय का नाम**	**बैंक ड्राफ्ट**	**कमांक**	**दिनांक**	**राशि**

9— यदि बोलीदाता/कम्पनी/फर्म हैं तो कम्पनी/फर्म का रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र मय मेमोरण्डम आफ आर्टिकल/साझेदारी डीड़ स्केन कर अपलोड़ करना होगा।

10— निम्न की प्रतियां तकनीकी नीलामी बोली के साथ स्केन कर अपलोड़ करने होगें तथा विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होगें।

(1) कम्पनी/फर्म की स्थिति में कम्पनी/फर्म रजिस्टर्ड के प्रपत्र।

(2) कम्पनी/फर्म की स्थिति में मेमोरण्डम आफ आर्टिकल/साझेदारी डीड।

(3) पेन कार्ड ।

(4) नीलामी बोली शुल्क, ई प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के डी0डी0 की प्रति।

(5) आधार कार्ड की प्रति/निवासी होने का प्रमाण पत्र।

(6) किसी भी राज्य एवं राजस्थान सरकार में डीबार (प्रतिबन्धित) नहीं किया गया हैं का रू. 100/— का नॉन ज्युडिशियल स्आम्प पेपर पर प्रमाण पत्र (नोटेरी पब्लिक से सत्यापित हों।)

(7) निरस्त चैक/बैंक की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम व खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो।

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4) निम/लेखा/ठेका/2020—21/19401 दिनांक 01.10.20200 में वर्णित सभी शर्ते पढ ली है तथा संलग्न शर्तो पर मैंने/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्ते मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग
ई – नीलामी बोली शर्ते वर्ष 2020–21

स्टेजेज बढोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की नीलामी बोली शर्तेः–

1 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग – अलग आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशयों के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।

2 नीलामी बोली के लिए समय सारणी निम्न प्रकार हैः–

ई–नीलामी बोली अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड दिनांक से	ई – नीलामी बोली अपलोड कराने की अंतिम दिनांक व समय	ई – तकनीकी नीलामी बोली खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी नीलामी बोली मांगी जा रही हैं
12.10.2020	26.10.2020 सांय 6.00 बजे तक	27.10.2020 दोपहर 2.30 बजे	'क' प्रवर्ग के जलाशय (नीलामी बोली प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

3 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोलीओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि का ड्राफ्ट, नीलामी बोली शुल्क रू. 500/– का डी0डी0 (प्रत्येक जलाशय के लिए अलग–अलग) निदेशक मत्स्य के पक्ष में जयपुर में देय होगा एवं ई नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/– का ड्राफ्ट एम.डी.आर.आई.एस.एल, जयपुर (M.D.R.I.S.L.,JAIPUR) के पक्ष में जयपुर में देय होगा। नीलामी बोली प्रपत्र के साथ उक्त डी0डी0 की स्केन कर प्रतियां अपलोड़ करनी होगी। अमानता राशि के लिये चैक मान्य नहीं होगा एवं नीलामी बोली निरस्त मानी जावेगी। नीलामी बोली प्रपत्र का शुल्क, ई नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के डी0डी0 विभाग में दिनांक 26.10.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक प्रस्तुत न करने पर नीलामी बोली मान्य नहीं होगी। नीलामी बोली का शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता के डी0डी0 तथा शपथ पत्र विभाग में दिनांक 22.09.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक भौतिक रूप से जमा करवाना होगा।

4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस नीलामी बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं नीलामी बोली निरस्त मानी जावेगी।

5 बोलीदाता द्वारा वित्तिय बोली आनलाईन दिये गये बी.ओ.क्यू. (B.O.Q.) फारमेट में ही जलाशय वार देनी होगी।

6 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षो की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढोत्तरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तद्नुसार आगामी वर्ष के लिए बढी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।

7 बोलीदाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

8 बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

9 सफल बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जब्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल नीलामी बोली रकम का साढे सात प्रतिशत (7.5) की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञा पत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि निदेशक मत्स्य, राजस्थान जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

10 निदेशक मत्स्य/ नीलामी बोली समिति को किसी भी नीलामी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11 बोलीदाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।

12 बोलीदाता को नीलामी बोली में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।

13 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर बोलीदाता कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा एवं तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

14 बोलीदाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/निदेशक मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।

15 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को नीलामी बोली देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./ प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज अपलोड़ करने होंगे।

16 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित बोलीदाता को जलाशय का मूल अनुज्ञा पत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।

17 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष नीलामी बोली शर्त उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त होगी या नीलामी बोली शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो नीलामी बोली खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।

18 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या–8 के अनुसार नीलामी बोलीयां आमंत्रित करके/नीलामी बोली के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।

19 सफल बोलीदाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

20 नीलामी बोली खोलने के बाद किसी प्रकार की ई मेल/पत्र मान्य नहीं होगा।

21 बोलीदाता को नीलामी बोली प्रपत्र में अपना सही पता मय पिन कोड़ के अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना बोलीदाता के पास नहीं पहुचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

22 बोलीदाता को नीलामी बोली प्रपत्र में अपना सही पता मय पिन कोड़ के अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना बोलीदाता के पास नहीं पहुचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

23 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकडने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।

24 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबंधित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

25 चालू वर्ष के ठेके की राशि एंव आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

26 बोलीदाता जिन जलाशयों की दर प्रस्तुत कर रहे हैं वे ई–नीलामी बोली दस्तावेज के वित्तिय बोली के निर्धारित प्रपत्र में ही दर प्रस्तुत करेगें।

27 बिड डाक्यूमेन्ट में 42 जलाशयों की सूची होगी, परन्तु प्रत्येक जलाशय के लिए BOQ/Price Schedule पृथक पृथक प्रर्दशित होगे। बोलीदाता को मत्स्याखेट हेतु लीज पर लिये जाने वाले बंध/जलाशय के लिए पृथक पृथक BOQ/Price Schedule में बोली राशि अंकित करनी होगी।

28 बोलीदाता नीलामी बोली की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वित्तीय दरें अपलोड़ कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

29 बोलीदाता द्वारा जिन जलाशयों की अमानता राशि विभाग में जमा कराई हैं उन्हीं जलाशयों के लिये मान्य होगी। उक्त जलाशयों के अतिरिक्त अन्य जलाशयों हेतु प्रस्तुत बोली के लिए मान्य नहीं होगी।

30 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गई और मैं विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।

31 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी नीलामी बोली पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

32 स्आम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।

33 नीलामी बोली के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।

34 मत्स्याखेट हेतु काम में आने वाली नावों का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में करवाना आवश्यक हैं मत्स्याखेट से पूर्व नावों पर नियमानुसार पंजीकरण क्रमांक, चेतावनी एवं मत्स्य ठेकेदार का नाम व ठेका वर्ष नावों पर अंकित कराना आवश्यक है। नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक नाविक/मछुआरा को सेफ्टी जैकेट (लाईफ जैकेट) पहनना आवश्यक है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

35 समस्त बोलीदाताओं को भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं निदेशालय मत्स्य विभाग द्वारा कोविड–19 की पालना हेतु जारी गाईड लाईन के दिशा निर्देशो यथा मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, बोलीदाता के साथ केवल एक ही अतिरिक्त व्यक्ति परिसर में आ सकेगा तथा समय–समय पर जारी निर्देशो की पालना करनी होगी।

36 समस्त न्यायिक विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

37 बंध बीसलपुर जिला टोंक का ठेका माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 3987/2020 श्री देवेन्द्र जायसवाल बनाम राजय सरकार व अन्य के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

38 मैंने/हम बोलीदाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की नीलामी बोली की उपरोक्त सभी शर्ते पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी–खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो–हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

AFFIDAVIT
(on Rs. 100/- stamp)

1. The undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct.

2. The undersigned do hereby certifies that neither my/firm/company/individuals _________________________ nor any of its constituents partners have abandoned any project work in India nor any contract awarded to us for such works have been rescinded during the last 2 years prior to the date of this bid.

3. The undersigned here by authorized(s) and request(s) any bank/person/firm or corporation to furnish pertinent information as deemed necessary and as requested by the department to verify the statement or regarding my (our)competency or general reputation.

4. The undersigned understands and agrees that further qualifying information may be requested and agreed to furnish any such information at the request of department.

5. The undersigned do hereby certifies that neither my firm/company/individuals have not been debar by any organisation during last 2 years.

(Signature of the Bidder)
Name of the Firm
Date.

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2020–21 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु

नीलामी बोली के साथ संलग्न पत्रों/दस्तावेजों की स्केन प्रतियां :–

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	**पृष्ठ संख्या**
1.	कम्पनी/फर्म की स्थिति में कम्पनी/फर्म रजिस्टर्ड के प्रपत्र।	
2.	कम्पनी/फर्म की स्थिति में मेमोरण्डम आफ आर्टिकल/साझेदारी डीड।	
3.	पेन कार्ड की प्रति।	
4.	नीलामी बोली शुल्क, ई नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के डी0डी0 की प्रति।	
5.	आधार कार्ड की प्रति/निवासी होने का प्रमाण पत्र।	
6.	किसी भी राज्य एवं राजस्थान सरकार में डी बार (प्रतिबन्धित) नहीं किया गया हैं का रू. 100/– का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रमाण पत्र (नोटेरी पब्लिक से सत्यापित हों।)	
7.	निरस्त चैक/पास बुक के प्रथम पृष्ट की प्रति जिसमें व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम व खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो।	
8.	अन्य दस्तावेज यदि कोई हो।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2020–21 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु

आरक्षित राशि एवं अमानता राशि की तालिका :–

क्र.सं.	जलाशय का नाम	जिला	वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)
1	बंध बुचारा	जयपुर	5.50	55000
2	बंध चंदलाई (रामसागर)	जयपुर	46.00	460000
3	बंध कानोता	जयपुर	120.00	1200000
4	बंध रायपुर पाटन	सीकर	7.50	75000
5	बंध दीपावास	सीकर	5.50	55000
6	बंध बीसलपुर मय नदी डाई खारी जिला अजमेर – भीलवाडा मय बंध भटेडा, टोंक	टोंक	650.00	6500000
7	बंध पचानपुरा	भीलवाडा	20.00	200000
8	बंध मण्डोल	भीलवाडा	12.00	120000
9	बंध फतेहसागर	उदयपुर	40.00	400000
10	नदी भेडच (उदयपुर–चितौडगढ–भीलवाडा)	उदयपुर	22.00	220000
11	बंध बडी (बडगाव)	उदयपुर	12.00	120000
12	बंध साबरमती तहसील कोटडा	उदयपुर	25.00	250000
13	बंध लोडेश्वर	डूंगरपुर	17.00	170000
14	बंध बाबा की बार	डूंगरपुर	5.00	50000
15	बंध पूजंपुर	डूंगरपुर	12.00	120000
16	बंध जाखम मय नदी (सेन्चूरी एरिया छोडकर)	प्रतापगढ़	25.00	250000
17	बंध गम्भीरी मय नदी	चित्तौड़गढ़	175.00	1750000
18	बंध मोडिया महादेव	चित्तौड़गढ़	13.00	130000
19	बंध दहीखेडा	चित्तौड़गढ़	5.00	50000
20	बंध घोसुण्डा डेम	चित्तौड़गढ़	45.00	450000
21	बंध जगर	करौली	50.00	500000
22	बंध अलनिया	कोटा	46.00	460000
23	बंध अभयपुरा	बूंदी	15.00	150000
24	बंध भीमलत	बूंदी	11.00	110000
25	बंध पाईबालापुरा	बूंदी	15.00	150000
26	बंध हिण्डौली	बूंदी	33.00	330000

27	बंध चन्द्रसरोवर (गावडी)	झालावाड़	5.50	55000
28	बंध भीम सागर	झालावाड़	25.00	250000
29	बंध सूर्यसागर (खण्डिया)	झालावाड़	11.00	110000
30	बंध कालीसिंध मय अपर स्ट्रीम नदी कालीसिंध	झालावाड़	32.00	320000
31	बंध छोडा	पाली	6.00	60000
32	बंध सूकली सेलवाडा मय नदी सिरोही	सिरोही	45.00	450000
33	बंध पश्चिमी बनास मय नदी	सिरोही	35.00	350000
34	बंध धान्ता	सिरोही	5.00	50000
35	बंध सहरोल तलहटी	बारां	5.00	50000
36	बंध उतावली	बारां	10.00	100000
37	नदी परवन (कोटा–बारां–झालावाड़) पर सरंक्षित सोरसन गोडावन क्षेत्र ग्राम मउ इब्राहिमपुर (अन्ता सोरसन सांगोद मार्ग पर सांगोद पुलिया) से राजगढ़ एक्वाडक्ट से आगे काली सिन्ध नदी में संगम तक के क्षेत्र को छोड़कर व शेरगढ़ अभ्यारण्य (अजनावरी नाले से अकावद डेम की डाउन स्ट्रीम तक का क्षेत्र छोड़कर)	बरां	13.00	130000
38	बंध गूदोलाव	अजमेर	15.00	150000
39	बंध बालसमन्द	जोधपुर	7.00	70000
40	बंध बांडी सिणधरा	जालौर	25.00	250000
41	बंध बीठन	जालौर	5.00	50000
42	बंध नंदसमंद (नमाना)	राजसमंद	20.00	200000